न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 3742–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2014 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 109/2013–14 स्वमेव निगरानी

भूपेन्द्र सिंह पुत्र लाल साहव नंदवंशी
निवासी ग्राम एजवारा
तहसील बदरवास जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन --अनावेदक

(श्री एम0पी0बरूआ अभिभाषक – आवेदक)
(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 109/2013–14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–5–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 17–11–2015 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शासकीय पटटेदारों की भूमियां कलेक्टर की बिना अनुमति के विकय वावत् गठित जांच समिति की

रिपोर्ट पर ग्राम मझारी स्थित भूदान बोर्ड के पटटे की भूमि सर्वे कमांक 548 रकबा 0.67 है., 555 रकबा 0.06 है., 556 रकबा 0.02 है., 557 रकबा 0.03 है. , 561 रकबा 0.09 है. , 610 रकबा 0.91 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर हीरा पुत्र मुतिया जाटव के नाम थी, जिसका विकय कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति के बिना आवेदक के हित में पाये जाने से अपर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 109/2013-14 दर्ज कर हीरा पुत्र मुतिया जाटव पट्टाग्रहीता को एंव आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाबजूद सूचना पट्टेदार तथा केता आवेदक नियत पेशी 10-10-13 को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से प्रतिवेदन दिनांक 4.3.2013 प्राप्त कर आदेश दिनांक 22-5-2014 पारित किया एंव पटटेदार की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विकय होना पाकर पटटेदार व्दारा पटटे की शर्तो का पालन न करने से संहिता की धारा165 के अंतर्गत विकय पत्र शून्य घोषित करते हुये भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के निगरानी की ग्राह्यत पर तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में तथा अवधि विधान की धारा-5 में अंकित किये हैं। अनावेदक शासकीय अभिभाषक ने दिनांक 22-5-14 के आदेश के विरूद्ध 17-11-15 को प्रस्तुत विलम्ब का प्रत्येक दिन का कारण स्पष्ट न करना बताते हुये निगरानी अवधि-वाह्य होने से निरस्त करने की मांग रखी।

5/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 26-5-14 को पारित हुआ है आदेश की जानकारी विलम्ब से दिनांक 1-8-15 को प्राप्त होना बताया है परन्तु उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त यदि 1-8-15 को जानकारी हुई तो 7-8-15 को नकल हेतु आवेदन देना तथा 14-8-15 को नकल प्राप्त होने पर भी 17-11-15 को निगरानी प्रस्तुत करने का भी बैधानिक कारण नहीं है। जानकारी के दिन से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इसलिये क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 26-5-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि 7-8-15 को आवेदन देने पर दिनांक 14-8-15 को प्राप्त हो चुकी है और 14-8-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 17-11-2015 के बीच की अवधि 3 माह से अधिक समय के दिन-प्रतिदिन का हिसाव आवेदक के अभिभाषक नहीं दे सके एंव अन्य प्रकार से समाधान भी नहीं करा सके। अतएव निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर